हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज

प्र.सं. 22/18 देवेन्द्र व्यास / सत्यनारायण

नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पो0 कम 1 उपस्थित। वकील रेस्पो0 कम 2 व 3 अनुपस्थित। बार बार आवाज पुकरवाई गई रेस्पो0 कम 2 व 3 अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित नही हुए। बहस उभयपक्ष वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पो0 कम 1 की सुनी गई। इसी न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/18 बउनवान मनोज कुमार वगैरह बनाम सत्यनारायण में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2023, जो अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न है, के माध्यम से "प्रकरण तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाकर प्रकरण के प्रचलित रास्ते के संबंध में पुनः जांच कर पर्याप्त साक्ष्य लेकर समस्त प्रभावित खातेदारान/सहखातेदारान की विधिवत सुनवाई कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये हैं।"

अतः हस्तगत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके प्रकरण संख्या 3/2017 बउनवान सत्यनारायण बनाम मनोज कुमार में अपीलांट प्रभावित पक्षकार/खातेदार है तो नियमानुसार अपीलांट से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपीलांट की विधिवत सुनवाई कर प्रकरण में विधिसम्मंत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार बारां को अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:29 IST
Reason: SelfAttested